झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विविध याचिका सं0 3685 वर्ष 2022

दिनेश अग्रवाल उम्र लगभग 53 वर्ष पुत्र स्व0 आत्माराम अग्रवाल, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) इण्डिया मार्ट इन्टर्नेट मेश लि0, इसकी कंपनी भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 के अधीन पंजीकृत है इसका पंजीकृत कार्यालय, कार्यालय प्रथम तल, 29-दरियागंज, नेताजी सुभाष मार्ग डाकखाना तथा थाना दरियागंज, जिला-नई दिल्ली-11002 में है।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. डटसुन इंजीनियरिंग प्रा0लि0 द्वारा इसके निदेशक अशीम रजा पुत्र फारूक रजा इसका कार्यालय 108, तृतीय तल, कामनी सेन्टर, डाकखाना तथा थाना-विसतूपुर, कस्बा-जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री इन्द्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री अमित कुमार वर्मा, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री अभय कुमार तिवारी, अपर लोक अभियोजक
उत्तरदाता सं02 के लिए : श्री शिव प्रसाद, अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

मा0 श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- वीडियो कान्फ्रेन्स के जरिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा उत्तरदाता सं0 2 का विद्वान अधिवक्ता शारीरिक रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को विस्तूपुर थाना मामला सं0 204/2022 के संबंध में सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही का अभिखण्डन करने के अनुरोध के साथ धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है जिसमें विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमदेशपुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 406, 420 तथा 120ख के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए पंजीकृत उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में पारिणामिक अन्वेषणों के निदेश के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) के अधीन परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद को अग्रसारित किया है।

3. याचिकाकर्ता के विरूद्ध अभिकथन यह है कि परिवादी तारकोल (मेम्बरेन सीट) सीट के क्रय हेतु आनलाइन तलाशी करते समय परिवाद के अभियुक्त सं0 1 से मिला था, जो ई-कामर्स प्लेटफार्म चलाने वाला मध्यस्थ हैं तथा भावी क्रेताओं को विक्रेता आनलाइन जोड़ने का कार्य करता है तथा इस प्रकार आनलाइन सर्च करते समय परिवादी को अभियुक्त सं0 5 से काल प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात परिवादी ने अभियुक्त सं0 3 तथा

5 से वाणिज्यिक संव्यवहार किया था। अभियुक्त सं0 3 ने स्वयं का परिचय अभियुक्त सं0 5 मेसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज के कर्मचारी के रूप में दिया था तथा परिवादी ने अभियुक्त सं0 5 मेसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज से रू0 6,62,900/- की कीमत का तारकोल सीट खरीदने का आर्डर लगाया था। अभियुक्त सं0 3 अमित सैनी से कर बीजक प्राप्त करने के बाद, परिवादी ने 20.05.2022 की रात में सामग्री, भेजने के वचन के साथ अभियुक्त सं0 5 के खाते में बैंक संव्यवहार के जरिए मात्र रू0 3,02,900/- का आंशिक भुगतान किया था लेकिन अनुबन्ध सं0 3 तथा 5 ने सामग्रियों की आपूर्ति न करके सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ छल तथा आपराधिक न्यासभंग एवं आपराधिक षड्यंत्र किया था। परिवादी ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के न्यायालय में परिवाद मामला सं0 3271 वर्ष 2022 दाखिल किया था जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर द्वारा प्र0सू0रि0 के पंजीकरण हेतु पुलिस को अग्रसारित करने के बाद, विस्तूपुर थाना मामला सं0 204/2022 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 406, 420 तथा 120ख के अधीन दण्डनीय मामलों के लिए पंजीकृत किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता जो परिवाद का अभियुक्त सं0 2 है, परिवाद के अभियुक्त सं0 1 इण्डिया मार्ट इन्टरमेश लिमिटेड का प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, जो कम्पनीज एक्ट 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलित एक कंपनी है तथा जो व्यापार को सुगमतापूर्वक करने के मिशन के साथ उत्पादों के क्रेतागण तथा आपूर्तिगण के बीच परस्पर क्रिया को सुकर बनाने के लिए बिजनेस टू बिजनेश आनलाइन डिस्कवरी प्लेटफार्म है। आगे, इसका बेबसाइट उत्पादों तथा सेवाओं के क्रेतागण तथा आपूर्तिकर्ता के बीच सूचना का आदान प्रदान के लिए समर्थ बनाते हुए आपूर्तिकर्ता को आनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। तत्पश्चात यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता क्रेतागण तथा विक्रेतागण के बीच वास्तविक संव्यवहार में हिस्सा नही लेता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता पर कोई प्रकट कार्य आरोपित नहीं है जो दूर-दूर तक भी किसी आपराधिक षड्यंत्र में इसके संलिप्तता का संकेत दे सकता हो।

5. न्यायालय का ध्यान आपराधिक अपील सं0 1356 वर्ष 2019 में संप्रकाशित दिनेश अग्रवाल उर्फ दिनेश चन्द्र अग्रवाल बनाम बिहार राज्य तथा अन्य के मामले में भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2019 की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है :-

> "हमारे पूछतांछ पर राज्य का विद्वान अधिवक्ता वास्तव में यह खण्डन नहीं कर सकता है कि अपीलार्थी का मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 के अधीन उपलब्ध छूट द्वारा आच्छादित है क्योंकि अपीलार्थी संव्यवहारों हेतु

मात्र प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। हमारे पूछतांछ पर इसका आगे कहना है कि प्र0सू0रि0 के अनुसरण में अन्वेषण पूरा किया गया था तथा अपीलार्थी के रूप में कुछ भी प्रतिकूल नही पाया गया है। पूर्वोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों में, हम यह उचित मानते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्र0सू0रि0 के अनुसरण में कार्यवाही को समाप्त किया जाय। इस सीमित विस्तार तक, अपील को अनुज्ञात किया जाता है तथा आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। पक्षकारों पर अपना स्वयं का खर्च वहन करना छोड़ा जाता है।"

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 के अधीन उपलब्ध छूटों द्वारा आच्छादित है क्योंकि याचिकाकर्ता केवल संव्यवहार हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराने में शामिल है।

6. (1993) 3 एससीसी 54 में संप्रकाशित राधेश्याम खेमका तथा एक अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक परिवाद में प्रत्येक अभियुक्त के विनिर्दिष्ट भूमिका को आरोपित करना चाहिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवाद से यह सुस्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा किये गये किसी विनिर्दिष्ट कार्य के संबंध में कोई प्रकथन नहीं है अतः इस विषय पर भी विस्तूपुर थाना मामला सं0 204/2022 के संबंध में सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही अपास्त किये जाने योग्य है।

7. शरद कुमार सांधी बनाम संगीता राणे (2015) 12 एससीसी 781 में संप्रकाशित मामले में भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि जब परिवादी कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी अधिकारी के विरूद्व अग्रसर होना चाहता है, प्रतिनिधिक दायित्व का गठन करने के लिए अपेक्षित अभिकथन करना आवश्यक होता है, अतः यह निवेदन किया गया है कि विस्तूपुर थाना मामला सं0 204/2022 के संबंध में सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

8. विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा उत्तरदाता सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता ने विस्तूपुर थाना मामला सं0 204/2022 के संबंध में सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही के अभिखण्डन हेतु अनुरोध का जोदार तरीके से विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि चूँकि याचिकाकर्ता को आपराधिक षड्यंत्र हेतु भा0द0सं0 की धारा 120ख का अवलंब लेते हुए अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए भले ही इसकी भा0द0सं0 की धारा 406 या 420 के अधीन दण्डनीय अपराध करने में कोई विनिर्दिष्ट भूमिका नहीं है फिर

भी अपराध जैसा अभिकथित है किये सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र में इसके विरूद्ध अभियोजन जारी रखा जा सकता है अतः यह निवेदन किया गया है कि इस आपराधिक विविध याचिका को किसी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

9. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनों को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, यह सुस्पष्ट है कि स्वयं परिवाद में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता मेसर्स इंडिया मार्ट का प्रबंध निदेशक है जो ई-कामर्स प्लेटफार्म है जो भावी क्रेताओं को विक्रेता आनलाइन पर जोड़ने के कार्य हेतु तथा अपने व्यापार को जारी रखने हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।

10. अभिलेख में सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध पूर्णतया कोई अभिकथन नहीं है कि इसने भा0द0सं0 की धारा 406 के अधीन या धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध किया था न ही इसके विरूद्ध कोई अभिकथन है कि किसी समय याचिकाकर्ता सह-अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षड्यंत्र में था। इस प्रकार की परिस्थितियों में, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा तथा यह उपयुक्त मामला है जहाँ विस्तूपुर थाना मामला सं0 204/2022 के संबंध में सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को याचिकाकर्ता के विरूद्ध अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

11. तद्नुसार, विस्तूपुर थाना मामला सं0 204/2022 के संबंध में सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को याचिकाकर्ता के विरूद्ध अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

12. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 5 दिसम्बर, 2023
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद (शिवाकान्त तिवारी) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।